वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

दिनांक 11 जनवरी 2019 को आयोजित प्रबंध मंडल की 96वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 96वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी 2019 को विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र (कॉमर्स कालेज कैंपस, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर) में मध्यान्ह पूर्व 11.30 बजे आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 अशोक शर्मा , कुलपति,वमखुवि, कोटा	अध्यक्ष
2.	प्रो0 प्रदीप साहनी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री एल0एन0 सोनी, संभागीय आयुक्त, कोटा	वित्त सचिव द्वारा नामित सदस्य
4.	प्रो0 नवीन कुमार जैमन,विज्ञान संकाय, कोटा विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
5.	प्रो0 एच0बी0 नंदवाना,वमखुवि, कोटा	सदस्य
6.	प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुवि, कोटा	सदस्य
7.	डॉ0 श्रीमती रश्मि बोहरा, वमखुवि, कोटा	सदस्य
8.	श्री एस.एन. शर्मा, नियंत्रक (वित्त) वमखुवि, कोटा	विशेष आमंत्रित
9.	श्री महेन्द्र मीणा, कुलसचिव, वमखुवि, कोटा	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थिति सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन को अवगत कराया कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रबंध मण्डल में दो सदस्यों – प्रो0एन.के0 जैमन, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं प्रो0 राम मिलन, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को नामित किया गया है। प्रो0 राम मिलन एवं शासन सचिव (उच्च शिक्षा) अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में पिछले तीन वर्षो से नामांकन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो द्वारा पूर्व में नौ पाठ्यक्रमों की मान्यता नहीं मिलने से यह आशंका थी कि नामांकन में कमी आ सकती है लेकिन

विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सतत सहयोग एवं सक्रियता के कारण नामांकन में वृद्धि संभव हो सकी है। अब उक्त नौ पाठ्यक्रमों में से चार पाठ्क्रमों की मान्यता भी विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गई है एवं शेष पाँच पाठ्यक्रमों हेतु दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो को पुनः आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि आज तक किसी भी विद्यार्थी की डिग्री लंबित नहीं है एवं दीक्षांत समारोह प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है। विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है जिससे विद्यार्थी समय पर कार्यक्रम पूरा कर सके। प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय में अलग से विज्ञान भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसका कार्य प्रगति पर है एवं परीक्षा विभाग हेतु अलग से हॉल बनवाये जाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गयी है।

तत्पश्चात् कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार कार्यसूची विवरण प्रस्तुत किया गया एवं बिन्दुवार विस्तृत चर्चा के उपरांत निम्न निर्णय लिये गये।

96/01 प्रबंध मंडल की 95वीं बैठक दिनांक 21 मार्च 2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 95वीं बैठक दिनांक 21 मार्च 2018 के कार्यवाही विवरण की प्रति सदस्यगणों को दिनांक 28 मार्च 2018 को प्रेषित कर दस दिवस में टिप्पणी मांगी गई थी, वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा एक माह से अधिक समय के बाद दिनांक 04 मई 2018 के पत्र (दिनांक 16 मई 2018 को कार्यालय में प्राप्त) टिप्पणी प्रस्तुत की गई, जो कि सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई।

टिप्पणी के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 में कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 95/6 के संबंध में की गयी टिप्पणी को विचार–विमर्श के उपरांत अप्रासंगिक मानते हुए सदन ने अस्वीकार कर दिया।

इस टिप्पणी के बिन्दु संख्या 2 में कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 95/12(3) के संबंध में की गयी टिप्पणी को सदन द्वारा स्वीकार करते हुए कार्यवाही विवरण में निर्णय संख्या 95/12(3) में *"अन्य सभी बिन्दुओं का परीक्षण कर नियमानुसार नियुक्ति प्रदान किये जाने"* को जोड़ने का निर्णय लिया गया।

इसके उपरांत प्रबंध मण्डल की 95वीं बैठक दिनांक 21 मार्च, 2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

96/02 प्रबंध मंडल की 95वीं बैठक दिनांक 21 मार्च 2018 के निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही का अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकन एवं पुष्टि का प्रस्ताव।

प्रबंध मंडल की 95वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना में की गई कार्यवाही का बिंदुवार अनुपालना प्रतिवेदन सदन के समक्ष अवलोकन एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। बिन्दु संख्या 95/12(1) में विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गांव कोटसुआं को टंकण त्रुटि से बारां जिले में दर्शाया गया है। अतः बारां की जगह कोटा जिला करने के आंशिक संशोंधन के साथ अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

96/03 दिनांक 04 जनवरी, 2019 को आयोजित विद्या परिषद की 58वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

दिनांक 04 जनवरी, 2019 को आयोजित विद्या परिषद की 58वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

96/04 दिनांक 07 जनवरी, 2019 को आयोजित वित्त समिति की 57वीं बैठक के कार्यवाही विवरण, वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगामी वित्तीय वर्ष 2019—20 के प्रस्तावित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018—19 के संशोधित बजट अनुमानों का अनुमोदन।

दिनांक 07 जनवरी, 2019 को आयोजित वित्त समिति की 57वीं बैठक का कार्यवाही विवरण, वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगामी वित्तीय वर्ष 2019—20 के प्रस्तावित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018—19 के संशोधित बजट अनुमान अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

वित्त नियंत्रक, श्री एस.एन. शर्मा ने प्रस्ताव के समस्त पहलुओं को विस्तार से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। सदन द्वारा प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर गहन विचार—विमर्श किया गया ।

वित्त समिति की कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 57 (14) के संबंध में वित्त विभाग के प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, श्री एल.एन. सोनी का यह मत था कि जिन कार्मिकों का वेतन संबंधी प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है उन्हें 7वें वेतनमान के एरियर की राशि का भुगतान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही किया जावें। जिस पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

तदुपरांत दिनांक 07 जनवरी, 2019 को आयोजित वित्त समिति की 57 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण सहित आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रस्तावित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के संशोधित बजट अनुमानों का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

96/05 विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान संशोधित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांकः–एफ.1(4)शि–4/2016 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के संदर्भ में विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान संशोधित किए जाने का प्रस्ताव ।

राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतनमान संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांकः–एफ.1(4)शि–4/2016 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से सूचित करते हुए पत्र के बिंदु संख्या 17.1 में उल्लेखित है कि विश्वविद्यालयों द्वारा वेतनमान संशोधन के आदेश जारी करने से पूर्व अपने सक्षम निकाय से स्वीकृति प्राप्त की जाए। अतः राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में शिक्षकों के वेतनमान राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप संशोधित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

96/06 श्री सुधीर कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के सेवान्त परिलाभ जारी करने के संबंध में अवलोकनार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत हैः–

इस संबंध में गठित की गई समिति के कार्यवाही विवरण में वर्णित समिति की अनुशंषा को स्वीकार कर अनुमोदन किया गया।

96/07 राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल करने हेतु देय दो वर्ष की अवधि के विशेष अवकाश विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारियों के लिए लागू करने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 1 (16)एफडी/रूल्स/2011 दिनांक 22 मई, 2018 का अध्ययन कर, विश्वविद्यालय के नियम बनाये जाने के लिए निम्न समिति का गठन किया गया।

1. प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुवि, कोटा
2. कुलसचिव, वमखुवि, कोटा
3. नियंत्रक (वित्त), वमखुवि, कोटा
4. श्रीमती रश्मि बोहरा, निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर, वमखुवि, कोटा

उक्त समिति की रिपोर्ट आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

96/8 कुलपति की नियमित नियुक्ति के लिए राज्यपाल सचिवालय स्तर पर गठित की जाने वाली खोजबीन समिति हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन बाबत।

कुलपति की नियमित नियुक्ति हेतु खोजबीन समिति में प्रबंध मण्डल द्वारा सदस्य का मनोनयन किया गया। तदुपरांत सदस्य का नाम पद,पता, फोन नम्बर, फैक्स नम्बर एवं ई—मेल आदि की सूचना राजभवन को बंद लिफाफे में प्रेषित की गई।

बैठक के दौरान शासन सचिव, उच्च शिक्षा का पत्र (क्रमांक एफ( )/निस/शास/उएवंतशि/2019/ दिनांक 11.01.2019) प्राप्त हुआ जिसे सदन के पटल पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा रखा गया। इस पत्र पर विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति शासन सचिव, उच्च शिक्षा को प्रेषित की जावें एवं यदि किसी बिन्दु पर कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में पुनः विचार किया जा सकता है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में आयोजित हाने वाली बैठकों का विस्तृत "कार्यसूची विवरण" कम से कम तीन दिवस पूर्व सभी सदस्यों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(महेन्द्र मीना)
कुलसचिव
एवं सचिव (प्रबंध मंडल)